-1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक निग-3473-सन् 2016

श्रीमती अर्चना सोनी पत्नी श्री विष्णुकान्त सोनी
निवासी ग्राम गंज तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....आवेदिका/निगरानीकर्ता

बनाम

01. हरचरन तनय श्री पिहरिया अहिरवार
02. बाबू तनय श्री पिहरिया अहिरवार
03. बृजेश तनय श्री पिहरिया अहिरवार
04. छोटू तनय श्री पिहरिया अहिरवार ,

चारो ना0बा0 बलि सरपरस्त मॉ
जयन्तीबाई पत्नी श्री पिहरिया अहिरवार,
निवासीगगण ग्राम देवगांव तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 .....अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्व प्रकरण कमांक 96/अ–6/2015–16 न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय प्रभारी मण्डल बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2016 की कार्यवाही से परिवेदित होकर।

महोदय,

आवेदिका/निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है–

01. यह कि ग्राम देवगांव राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि खसरा नं0 873/5, रकवा 1.315हे0 को आवेदिका द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के दिनांक 01.05.2014 को मु0 695000/–रू0 मे विकेता/अनावेदकगणो से कय की गई थी चूकि अनावेदक कमांक एक लगायत चार नाबालिग होने व आर्थिक स्थिति कम्जोर होने व रूपयो की अनावेदकगणो की पढ़ाई लिखाई में आवश्यकता होने को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मॉ सरपरस्त जयन्तीबाई पत्नी श्री पिहरिया अहिरवार द्वारा विकय की गई थी।

अर्चना सोनी

क्रमशः//2//

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 3473-I/16 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-10-16	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार बसारी तह. राजनगर जिला छतरपुर के प्र.क्र. 96/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-02-2016 के विरूद्व म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— मैंने आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश एवं प्रस्तुत रजिस्टर्ड विकयपत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निर्विवाद है अनावेदकगणों की मां जयन्तीबाई पत्नी श्री पिहरिया अहिरवार द्वारा आवेदिका से 695000/-रु. प्राप्त कर अनावेदकगणों की विधिक आवश्यकताओं को देखते हुए रजिस्टर्ड विकयपत्र निष्पादित किया है तथा राजस्व अभिलेख खसरे में विक्रय दि. 01.05.14 के पूर्व से विक्रेता किए जाने की अधिकारिता थी तथा अनावेदिका जयन्ती द्वारा स्वयं सहमति स्वरूप शपथपत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा निगरानी में दर्शित तथ्यों को स्वीकार क़िया गया है जिससे निगरानीकतर्का की निगरानी को अस्वीकार किए जाने का कोई विधिक आधार नहीं है इस कारण नायब तहसीलदार प्रभावी मण्डल बसारी तह. राजनगर के प्रकरण कमांक 96/अ-6/2016-16 में पारित आदेश दिनांक 24.09.16 व शेष संपूर्ण कार्यवाही वैद्य नहीं पाता हूँ। 3. उपरोक्त आधार पर नायब तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम देवगांव की	

[कृ. प. उ.

R. 3473-अ/16 (80/15)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
R/15	भूमि खसरा नंबर 873/5 रकवा 1.315 हे0 पर विक्रेता हरचरन, बाबू, बृजेश, छोटू, पुत्रगण पिहरिया अहिरवार सभी नाबालिग बलि मॉ जयन्तीबाई पत्नी श्री पिहरिया अहिरवार के स्थान पर केता आवेदिका श्रीमती अर्चना सोनी पत्नी श्री विष्णुकान्त सोनी के नाम दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	